

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 105/2024

वादी :-

1. शंकरलाल पुत्र लिछमणराम जाति सीरवी निवासी बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजेन्द्र पंवार पुत्र पोकरराम
2. अनिता पुत्री पोकरराम
3. श्रीमति शांतिदेवी पत्नी पोकरराम जातियान सीरवी निवासीगण बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति:-**वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 से 3 - श्री सी आर चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांक:- 8/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा आयी हुयी है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम पुत्र लिछमणराम जाति सीरवी निवासी बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की खातेदारी की थी। खातेदार पोकरराम ने दिनांक 13.06.2016 को खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा मे से 7 बिस्वा 10 बिश्वासी की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश वादी को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा का दस्तावेज दिनांक 13.06.2016 को जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 465 के पृष्ठ संख्या 153, क्रम संख्या 201603056101360 पर उप पंजीयक बिलाड़ा में पंजीयन किया गया। वादी द्वारा जब से खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा मे से 7 बिस्वा 10 बिश्वासी की भूमि को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम पुत्र लिछमणराम जाति सीरवी निवासी बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से दिनांक 13.06.2016 को जरिये बख्शीशनामा खरीद किया, तब से वादी का कब्जा व काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी ने बख्शीशनामा के जरिये म्यूटेशन स्वीकृति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादी इसी विश्वास में रहा कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण वादी ने उपरोक्त बख्शीशशुदा भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा मे से 7 बिस्वा 10 बिश्वासी की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। अभी 10 दिन पहले वादी अपनी बख्शीशशुदा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम पुत्र लिछमणराम का देहान्त हो चुका है इस कारण राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम का फौतेदगी नामान्तरकण संख्या-2837 दिनांक 24.04.2024 का स्वीकृत करवा दिया है इस कारण आपके हिस्से व बंट की भूमि में इस जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं है तो वादी को जानकारी हुयी कि बख्शीशनामा का म्यूटेशन ही स्वीकृत नहीं किया हुआ है। उपरोक्त भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा


खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा मे से 7 बिस्वा 10 बिश्वासी की भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम पुत्र लिछमणराम से दिनांक 13.06.2016 को रजिस्टर्ड बख्शीशनामा से प्राप्त कर लिया था। इस कारण वादी सद्भावी खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम पुत्र लिछमणराम के हिस्से व बंटशुदा की खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के प्राप्त किया है तथा बख्शीशशुदा भूमि पर काबिज है। नामान्तरकरण संख्या 2837 से न तो किसी की खातेदारी समाप्त की जा सकती है तथा न ही गलत एवं अवैध नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार ही प्राप्त हो सकते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बख्शीशशुदा भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है। अतः वादी भूमि जरिये बख्शीश के आधार पर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 13.06.2016 को उपरोक्त भूमि को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश खरीद करने पर तथा प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति पोकरराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2837 स्वीकृत करवा देने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर देने पर पैदा हुआ जो आज भी निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि वादी को ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 2 बीघा मे से 7 बिस्वा 10 बिश्वासी (यानि 0.06067 हैक्टेयर) की भूमि के खातेदार पोकरराम पुत्र लिछमणराम जाति सीरवी निवासी बाला तहसील बिलाड़ा से उनकी खातेदारी एवं बंटशुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 13.06.2016 को जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 465, पृष्ठ संख्या 153, क्रम संख्या 201603056101360 के आधार पर वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित किये जाने का आदेश फरमावे । अवैध नामान्तरकरण संख्या 2837 दिनांक 24.04.2024 को निरस्त फरमाया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश फरमावे।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर श्री सी आर चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.12.2024 को आदेशिका में हस्ताक्षर कर दावा स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 13.06.2016 पोकरराम बहक शंकरलाल पेश किया गया। रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के अनुसार ग्राम बाला के खसरा नंबर 604 रकबा 2 बीघा में से 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी शंकरलाल पुत्र लिछमणराम जाति सीरवी (पंवार) ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा को पोकरराम पुत्र लिछमणराम द्वारा दिनांक 13.06.2016 को बख्शीश की गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा

को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादी को ग्राम बाला तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 604 रकबा 2 बीघा में से 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 13.06.2016 के आधार पर वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि घोषित किया जाता है। तथा फौतदगी नामान्तरकरण सं. 2837 दिनांक 24.04.2024 को वादी के हित तक निरस्त फरमाया जाये। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तहसीलदार बिलाडा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 8/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।


(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
वादी :-
शंकरलाल

बनाम

प्रतिवादीगण :-

राजेन्द्र पंवार वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 105/2024

निर्णय

दिनांक :- 8/11/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से श्री सी आर चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी को ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा के खसरा नंबर 604 रकबा 2 बीघा में से 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 13.06.2016 के आधार पर वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि घोषित किया जाता है। तथा फौतदगी नामान्तरकरण सं. 2837 दिनांक 24.04.2024 को वादी के हित तक निरस्त फरमाया जाये। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा